न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 63/17

अनवान :

1. कृष्णा देवी पुत्री अमरसिंह पत्नि स्व0 मोहनलाल जाति धानक निवासी सुरतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– सायला

बनाम

1. अमरसिह पुत्र टीकूराम जाति धानक निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुमन पत्नि प्रतापसिंह जाति मेघवाल निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. भागाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– गैरसायल

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट
उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: सायला**
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: गैरसायलान**
निर्णय **दिनांक :** 14.2.18

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि सायला के मौरूशाला श्री टीकूराम की खातेदारी आराजी रोही मौजा कलाना के खसरा सं0 652 की 10 किला नं0 17 बिस्वा, खसरा सं0 631 की 28 किला 3 बिस्वा, खसरा सं0 566 की 17 किला नं0 5 बिस्वा, खसरा सं0 568 की 8 किला 12 बिस्वा, खसरा सं0 598 की 5 किला 14 बिस्वा, खसरा सं0 589 की 19 किला 18 बिस्वा, खसरा सं0 565 की 19 किला 4 बिस्वा मुस्तरका खाते की खातेदारी आराजी हुआ करती थी जिसमें टीकूराम का अपने भाईयों के साथ 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार था व रोही मोजा कलाना के ही खसरा सं0 597 की 10 किला 15 बिस्वा कृषि भूमि टीकू वल्द आशा के कब्जा काश्त में थी।

सायला के दादा टीकू की मृत्यु के बाद उपरोक्त मद में दर्ज आराजी कर्ता खानदान होने के कारण उनके वारिसान के नाम ओद हो गई। खसरा सं0 597 की आराजी टीकूराम अकेले के नाम से ओद हो गई।

सायला के पिता गैरसायल अमरसिंह ने सायला की माता रामप्यारी के साथ अरसा करीब 55 वर्ष पूर्व शादी की थी, जिसकी कोख से सायला पैदा हुई। उसके बाद सायला की माता रामप्यारी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद सायला के पिता ने चन्द्रो नामक औरत से शादी की जिसके कोई औलाद पैदा नहीं हुई जिसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद सायला के पिता अमरसिंह ने कलावती नाम की औरत से शादी की थी जिसके बन्तो नाम की लड़की पैदा हुई जो मौजुद है। सायला

का पिता सायला की सौतेली माता कलावती व सायला की सौतेली बहन बन्तो के असर व प्रभाव में होने के कारण सायला को उसके हिस्से से महरूम करने की गरज से सायला की संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि के अविभाजित हिस्से में से खसरा सं0 565, 566, 568, 589, 598, 631, 652 कुल खसरा सं0 7 की 27.7540 है0 कृषि भूमि में से अपने नाम दर्ज 6–1/2 किला आराजी अपने भाईयों इन्द्राज व चन्द्र के साथ शेरसिंह वल्द नन्दराम व सुभाषचन्द वल्द लालचन्द को विक्रय कर चुका है और अब उक्त खसरों में से अमरसिह वल्द टीकू के नाम 50–1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो कृषि भूमि सायला की ही खातेदारी बची है व रोही मौजा कलाना की खाता सं0 16/14 खसरा सं0 597 की 2.7200 है0 खातेदारी आराजी अमरसिंह वल्द टीकूराम के दर्ज है जिसमें सायला 1/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल सं0 1 ने वादग्रस्त आराजी रोही मौजा कलाना के खसरा सं0 565, 566, 558, 589, 598, 631, 652 की कुल खसरा 7 की 27.7540 है0 मे से उसके नाम 50–1/6 हिस्सा आराजी को व खाता सं0 16/14 के खसरा सं0 517 की 2.7200 है0 आराजी गैरसायल सं0 2 व 3 को नुमाईशी बैयनामा करा दिया है। गैरसायल सं0 1 अपने हिस्से की आराजी पहले ही विक्रय कर चुका है जो शेष आराजी विक्रय की है वह मिन प्रार्थीया के हक व हिस्से की आराजी है।

गैरसायल सायला को उसके हक व हिस्सा से महरूम करने के लिए अपने नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि वादग्रस्त आराजी को रहन बैय व मुन्तकिल करने की धमकी दे रहा है और वह पहले भी अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि विक्रय कर चुका है। अगर प्रतिवादीगण उक्त आराजी को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की अपनी मंशा में कामयाब हो गये तो सायला को अपूर्णिय क्षति होगी।

दरख्वास्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीगण ने जबाब दरख्वास्त पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि वादभूमि का गैरसायल सं0 1 खातेदार काश्तकार है तथा वादभूमि गैरसायल सं0 1 की स्वार्जित भूमि है एवं अपनी खातेदारी का वह हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने एवं हस्तान्तरण करने के पूर्ण अधिकार हासिल है जिसके चलते गैरसायल सं0 1 ने अपनी खातेदारी को दिनांक 01.11.2017 को कीमतन गैरसायल सं0 2 व 3 को जरिये बैयनामा हस्तान्तरण कर दी है।

सायला ने गैरसायल को नाहक तंग परेशान करने एवं उक्त भूमि की राशि गैरसायल सं0 1 ने हड़प करने के लिये उक्त प्रकरण पेश किया है जबकि गैरसायल सं0 1 निहायत ही गरीब आदमी है तथा वह बीमार रहता है तथा उसका एक पेर कटा हुआ है तथा वह किसी भी प्रकार की आय अर्जित करने का कोई काम नहीं कर पाता है। जिसके चलते गैरसायल सं0 1 के काफी कर्जा हो गया था जिसके चलते गैरसायल सं0 1 ने अपनी जायज जरूरत के लिये उक्त भूमि को कीमतन गैरसायल सं0 2 व 3 को विक्रय की है। उक्त समस्त तथ्यों की सायला को भली भांति जानकारी थी, फिर भी सायला ने अपने दावा एवं दरख्वास्त में उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर उक्त कार्यवाही पेश की है।

गैरसायल सं0 1 ने उक्त विवादित कृषि भूमि को उक्त दावा एवं दरख्वास्त की अस्थाई निषेधाज्ञा को आवेदन पत्र पेश होने से पहले ही गैरसायल सं0 2 व 3 के पक्ष में कीमतन विक्रय कर बैयनामा तस्दीक रजिस्टर करवा दिया था। इस प्रकार गैरसायलान सं0 2 व 3 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड सैल डीड उक्त वादभूमि

प्राप्त होने पर उक्त वादभूमि के सम्बन्ध में गैरसायलान सं0 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित बैयनामा को सायला राजस्व न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौति देने की अधिकारी नहीं है। रजिस्टर्ड सैल डीड को शुन्य घोषित करने के अधिकार सिविल न्यायालय को ही हासिल है।

सायला ने अपने आवेदन पत्र के अनुतोष में गैरसायल सं0 1 अमरसिंह के नाम शेष रही 50–1/6 हिस्सा के सम्बन्ध में रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण नहीं करने के सम्बन्ध में यथास्थिति का आदेश चाहा है जबकि सायला ने उक्त हस्तगत प्रकरण का आवेदन पत्र पेश करते समय खाता सं0 19/16 व खाता सं0 450/371 की सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है जिससे गैरसायलान के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दरख्वास्त सायला इस आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थिया ने अपने पिता के विरूद्ध दावा पेश किया है। विवादित कृषि भूमि दादा आशाराम की कृषि भूमि थी व 10 किला 18 बिस्वा टीकूराम के नाम दर्ज थी। संयुक्त खाता के 7 खसरों में अमरसिंह के पास लगभग 9 किला भूमि थी, इसमें से लगभग 6 किला विक्रय कर चुका है। किला नं0 597 की कृषि भूमि वाद दायर करने से एक दिन पूर्व विक्रय कर दी। मेरा वाद भूमि में हक व हिस्सा है। कृष्णा का पुत्री होना या न होना, गैलड़ होना आदि बिन्दु मूल वाद में तय होने है। बैयनामा सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किये गये है। बैयनामें 7–7 लाख के है, परन्तु चिकित्सा पर 4 लाख खर्चा हुआ। प्रथम दृष्टया मामला पैतृक सम्पति सुविधा का संतुलन मेरे पक्ष में है। कृषि भूमि आगे विक्रय होने पर मुकदमेबाजी बढेगी।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की रिलीफ चैक करें, इंतकाल देखें, संयुक्त खाता की भूमि 27.07.99 को ही विक्रय कर दी जिसको आज तक किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। इस दावा व प्रार्थना पत्र में पूर्व के खरीददार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीया ने अपने दावा व प्रार्थना पत्र में किसका कितना हिस्सा है, यह अंकित नहीं किया है। आज प्रार्थीया का कितना हिस्सा है और किस प्रकार है। उसका खुलासा नहीं किया है। गैरसायल अमरसिंह विकलांग है, उसका पैरकाटा हुआ है, जिसके इलाज बाबत 4–5 लाख का कर्जा हो गया है जिस बाबत उसे भूमि विक्रय करनी पड़ी। दावा होने से पूर्व वह भूमि विक्रय कर चुका था व बैयनामा दावा पेश होने से पूर्व हो चुका था। पंजीक्रत विक्रय पत्र लिस्ट पेंडिग में नहीं है तो इसे नल एण्ड वॉयड घोषित नहीं कर सकते। पंजीक्रत विक्रय पत्र को वॉयड घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। सायला गैरसायल अमरसिंह की पुत्री नहीं है। रामप्यारी से गैरसायल की शादी के समय कृष्णा रामप्यारी की पूर्व पुत्री थी। गैरसायल ने तो उसका पालन पोषण करके विवाह किया है। वह गैरसायल की सम्पति में हकदार नहीं है। गैरसायल विकलांग है, उसके कोई पुत्र नहीं व उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वह अपना जीवनयापन जमीन विक्रय से ही कर रहा है।

वादभूमि में वादिया का कितना हक हिस्सा है, वादिया अप्रार्थी की गैलड पुत्री है या नहीं, इस नाते उसके क्या अधिकार है। अप्रार्थी द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों की क्या विधिक स्थिति है जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं का निस्तारण गुणावगुण पर साक्ष्य के आधार पर मूल वाद में किया जाना है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में तो प्रथम दृष्टया

मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विचारण किया जाना उचित है।

प्रार्थीया ने दादालाई कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा बाबत वाद दायर किया है। हिन्दू उतराधिकार संशोधन अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पुत्री को भी पैतृक सम्पति में जन्म से सहखातेदारी अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी ने भी वादभूमि के दादालाई होने का कोई खण्डन नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित पाया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा पैतृक भूमि को पूर्व में विक्रय किया गया है तथा यदि अप्रार्थी द्वारा शेष भूमि भी विक्रय कर दी जाती है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा प्रार्थीया द्वारा दायर वाद में कलिष्टता बढेगी व उतरवर्ती वादों का जन्म होगा जिससे मुकदमेबाजी बढेगी। वाद निस्तारण तक वादभूमि को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु भी अप्रार्थीया के पक्ष में साबित है।

अत : दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे रोही मौजा कलाना के खाता सं0 19/16 के खसरा सं0 597 की 2.7200 है0 व खाता सं0 405/371 खसरा सं0 565, 566, 568, 589, 598, 631, 652 कुल खसरा सं0 7 की 27.7540 है0 कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य दीगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 14-2-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्याायलय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़